न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 11/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय–कोगटा हाऊस, आजाद नगर, बिजय नगर, जिला अजमेर, राजस्थान एवं कॉर्पोरेट कार्यालय–एस 1, गोपालबाड़ी, अजमेर पुलिया के पास, मैट्रो पिलर नम्बर 143 के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता श्री गंभीर सिंह राजावत।

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **इन्द्रा देवी पत्नि रमेश, (विधिक वारियान स्व. विनोद कुमार पूनिया),** निवासी बेसवा, सीकर, राज.। दूसरा पता– वार्ड सं. 01, पुनिया की ढ़ाणी, तहसील फतेहपुर, बेसवा, सीकर, राज.।
2. **रमेश कुमार पुत्र हनुमान राम, (विधिक वारियान स्व. विनोद कुमार पूनिया),** निवासी वार्ड सं. 01, फतेहपुर रोड़, बेसवा, सीकर, राज.। दूसरा पता– वार्ड सं. 01, पुनिया की ढ़ाणी, तहसील फतेहपुर, बेसवा, सीकर, राज.।
3. **मनोज कुमार पूनियां पुत्र रमेश पूनियां, (विधिक वारियान स्व. विनोद कुमार पूनियां),** निवासी किशनाना जोघा, वार्ड सं. 01, बेसवा, तहसील फतेहपुर, सीकर, राज.।
4. **दिनेश कुमार ताखर पुत्र भगवानाराम,** निवासी– वार्ड सं. 01, ढ़ाणी ताखरान, सीकर, राज.।

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 04.11.24

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विजय कुमार शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **इन्द्रा देवी पत्नि रमेश, रमेश कुमार पुत्र हनुमान राम, मनोज कुमार पूनियां पुत्र रमेश पूनियां** एवं **दिनेश कुमार ताखर पुत्र भगवानाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रथम बंधक सम्पत्ति रमेश कुमार पुत्र हनुमान राम के स्वामित्व की **खसरा संख्या 346, ग्राम बेसवा, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्ति क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1577/347, दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1577/347, पूरब दिशा में खसरा संख्या 1577/347, एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1577/347 व 345 है। एवं **द्वितीय बंधक सम्पत्ति विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार** के स्वामित्व की खसरा संख्या 1576/347, **ग्राम बेसवा, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्ति क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रोड़, दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1576/347, पूरब दिशा में खसरा संख्या 1576/347, एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1575/347 है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **रू. 20,32,534/– (अक्षरे रूपये बीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ चौंतीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **26.09.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री विनोद कुमार सरोज उपस्थित उपस्थित हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की हैं। परन्तु ऋण पुनर्भुगतान सम्बन्धित कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **26.09.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **इन्द्रा देवी पत्नि रमेश, रमेश कुमार पुत्र हनुमान राम, मनोज कुमार पूनियां पुत्र रमेश पूनियां** एवं **दिनेश कुमार ताखर पुत्र भगवानाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **प्रथम बंधक सम्पत्ति रमेश कुमार पुत्र हनुमान राम** के स्वामित्व की **खसरा संख्या 346, ग्राम बेसवा, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्ति क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1577 / 347, दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1577 / 347, पूरब दिशा में खसरा संख्या 1577 / 347, एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1577 / 347 व 345 है। एवं **द्वितीय बंधक सम्पत्ति विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार** के स्वामित्व की खसरा संख्या 1576 / 347, **ग्राम बेसवा, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्ति क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रोड़, दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1576 / 347, पूरब दिशा में खसरा संख्या 1576 / 347, एवं पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1575 / 347 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर